(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2993–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–06–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–29/अपील/2012–13

.....

भावेश सिंह तनय रमेश प्रताप सिंह

निवासी–ग्राम बमुरिहा तह0 नागौद

जिला–सतना(म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री यागवेन्द्र सिंह
निवासी–चाण्क्यपुरी कालोनी सतना,
तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना(म0प्र0)

2– श्रीमती गीता सिंह पत्नी श्री सहदेव सिंह
निवासी–साथिनी तहसील व्यौहारी थाना बाणसागर
जिला–शहडोल(म0प्र0)

3– श्रीमती सुरेश सिंह पत्नी श्री रंजीत सिंह
निवासी–पुरानी उतैली बायपास रोड के पास सतना
तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना(म0प्र0)

4– श्री रमेश प्रताप सिंह तनय श्री स्व0 जगतधारी सिंह
ग्राम बमुरिहा, तहसील नागौद, जिला–सतना (म0प्र0)

————अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3 एवं 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/1/17 को पारित)

इस न्यायालय के समक्ष त्रुटिवश अपील प्रस्तुत कर दी गई है। आवेदक की ओर से अपील को निगरानी में परिवर्तित किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील को निगरानी में परिवर्तित करते हुये, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी का निराकरण किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि– जगतधारी ने व्यवहार न्यायालय के डिक्री दिनांक 30.09.04 के आधार पर नजूल अधिकारी सतना के समक्ष संहिता की धारा 109–110 के अंतर्गत आराजी खसरा क्रमांक 129 सर्वे नम्बर 164/257 राजस्व आराजी नं0 257/1–अ/1 रकबा 2.20 एकड़ के अंश भाग 100X200 फिट यानी 20000 वर्गफिट स्थित ग्राम कोलगवा, तहसील रघुराजनगर के नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया । नजूल अधिकारी सतना के आदेश दिनांक 23.04.2011 से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक जगतधारी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 16.01.2012 से अपील स्वीकार की जाकर वसीयतनामा के जांच करने के उपरांत विधिसंगत आदेश पारित करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2011 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक भावेश सिंह के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया । जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के यहॉ पुनः अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 21.08.2012 से अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18.06.2013 से अपील स्वीकार करते हुये वसीयत दिनांक 03.11.09 के अनुसार तहसीलदार को नामांतरण के किये जाने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है

कि चतुर्थ व्यवहार न्यायधीश वर्ग—2, सतना के विवादित वाद क्रमांक 61 / ए / 2003 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2004 के प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व जगतधारी का माना है। अनावेदिका आशा सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें उनकी आपत्ति का निराकरण नहीं होना बतलाया । अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 16.08.2012 में यह निष्कर्ष निकालते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि आवेदक एवं वसीयतग्रहीता को सुनवाई का समूचित अवसर देने के उपरांत विधिसंगत आदेश पारित करते हुये तहसीलदार को भेजा। प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा बिना पक्ष समर्थन का अवसर एवं वसीयत पर बिना विचार कर आदेश दिनांक 24.04.12 को आवेदक भावेश सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया । तहसीलदार को अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया । अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18.06.13 के द्वारा वसीयत दिनांक 03.11.2009 के आधार पर चूँकि अपर आयुक्त द्वारा विक्रय पत्र एवं वसीयत को प्रमाणित नहीं किया और बिना निष्कर्ष निकाले ही सीधे ही तहसीलदार के वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश देने में भूल की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विक्रय पत्र एवं वसीयत की जांच कर प्रकरण के गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,